



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3832

क्रमांक: - 22(01)/M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 08/10/2023

(स्वीकृति संख्या : 29 / 2023-24)

विषय :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलसाना जिला सीकर में ट्रोमा सेन्टर के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति।

प्रसंग :- आईडी संख्या 152302291 दिनांक 06.10.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलसाना जिला सीकर में ट्रोमा सेन्टर के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट मद 4210-01-110-07-01-17 MW अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से राशि ₹. 50.00 लाख (अक्षरे राशि ₹. पचास लाख मात्र) " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, योजना की गाईडलाईन अनुसार तथा तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावे:-

राशि (रूपये में)

मांग संख्या	बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट)	राशि	बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट)	राशि
27	4210-01-110-(07)-[01]-17-State Fund	5,00,00,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	5,00,00,00
	कुल योग	5,00,00,00	कुल योग	5,00,00,00

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेख महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152302291 दिनांक 06/10/2023 से प्राप्त सहमति के अनुमरण में जारी की जा रही है।

भवदीय,

Signature Not
Verified
Digitally signed by
NIMISHA GUPTA
Date: 2023.10.08
15:14:18 +05:30

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: - 22(01)/M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 08/10/2023

RajKaj Ref No. : 4869718



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3832

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 3 शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त व्यय 1 विभाग, शासन सचिवालय
- 6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 7 तृतीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
- 8 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 9 रक्षित प्रभावली।

(निमिषा गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 4869718

<http://ifms.raj.nic.in>

2

Date : 8/10/2023

Signature Not
Verified
Digitally signed
NIMISHA GUPTA
Date: 2023.10.08
15:14:18 +05:30



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 3832

IFMS ID : 3832

परिशिष्ट

क्र. स.

Ref.
No.

निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष

राशि (रुपये में)

राशि

4008 - Rajasthan State Health Society

2100 - जयपुर(सचिवालय)

1

34641

4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि)

5,00,00,00

Signature Not
Verified
Digitally signed by
NIMISHA GUPTA
Date: 2023.10.08
15:14:18 +05:30

RajKaj Ref No. : 4869718

<http://ifms.raj.nic.in>

3

Date : 8/10/2023

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- योजना/सांख्यिकी/BFC 2023-24/2023/ ५५

दिनांक 7-11-23

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, मुख्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
6. संयुक्त निदेशक (योजना)
7. उपनिदेशक (योजना-निर्माण)
8. उपनिदेशक (सांख्यिकी)
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को संबंधित को ई-मेल आई-डी पर प्रेषित करते हुए विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।